



मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

आर- 1 क्र.:.....

दिनांक:.....

परिशिष्ट - 1

आवेदन प्रपत्र - उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन
(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

पासपोर्ट आकार का फोटो

यहां चिपकाए

महोदय,

मैं/हम, मेरे/ हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :-

1. उपभोक्ता

(अ) आवेदक /संस्था का नाम : -----

(ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/
न्यासी का नाम : -----

(स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए)
जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन : -----
किया जाना है याजहाँ परिवर्तन : -----
प्रस्तावित है ।

दूरभाष क्रमांक : -----

(i) कारखाना/परिसर : -----

(ii) पंजीकृत कार्यालय (डाक पता सहित) : -----

(iii) निवास (डाक पता) : -----

ई-मेल : -----

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : -----

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो : ----- (उच्च दाब/निम्न दाब)
सेवा संयोजन क्रमांक (विद्यमान संयोजन हेतु) : -----

निम्न दाब प्रदाय :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट का क्षेत्रफल :-----
3. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी(श्रेणियों की सूची संलग्न है) -----
4. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य(उप श्रेणियों की सूची संलग्न है) -----
5. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थायी/अस्थायी
(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
यदि अस्थायी है तो अवधि लिखें :-दिनांक ----- से ----- तक
6. प्रस्तावित भार
(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए-----वॉट
(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)
(ब) अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता (घरेलू को छोड़कर) निम्न सारणी में विवरण भरें
(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

उपकरण	विद्युत भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल विद्युत भार (वॉट में)

उच्च दाब प्रदाय :

7. वोल्टेज जिस पर विद्युत संयोजन चाहिए (के.वी.) :-

11 के.वी.	33 के.वी.	132 के.वी.	220 के.वी.
-----------	-----------	------------	------------

8. विद्युत संयोजन का प्रकार : स्थायी/अस्थायी
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)

यदि अस्थायी हो तो अवधि दर्शायें दिनांक ----- से ----- तक

9. आवेदक द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम

(अ) -----
(ब) -----
(स) -----
(द) -----

10. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार

(अ) अनुमानित विविधकरण कारक : -----
(अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर)
(ब) कुल संबद्ध भार : -----
मशीनों की सूची संलग्न करें

11. क्या संयोजन को विभिन्न चरणों में लिये जाने की आवश्यकता है : _____

12. संविदा मांग के चरण : _____

क्रमांक	आवश्यक संविदा मांग (के.वी.ए.)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है।	टिप्पणी

13. अधिष्ठापन का प्रयोजन : _____

14. टैरिफ की चयनित श्रेणी : _____
(टैरिफ आदेश के अनुसार)

15. उद्योग की उत्पादन क्षमता अथवा उत्पादन की संभावित तिथि : _____

16. उद्योग की श्रेणी : लघु/ मध्यम/ वृहद्
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और जो संबंधित हो उसे दर्शायें)

17. भूमि के अधिग्रहण की स्थिति : _____
(स्वामित्व का प्रमाण तथा वैधानिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करें)

18. अनुमानित दिनांक जब तक आर्थिक प्रबंध प्राप्त हो जाएगा : _____

19. क्या म.प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल से वैधानिक आवश्यकतानुसार, आवश्यक अनुज्ञा/ अनापत्ति

(जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त की है। (यदि हां तो प्रति संलग्न करें) : _____

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है। : हाँ/ नहीं

21. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है जहाँ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है। : हाँ/ नहीं

22. क्या ऐसी किसी संस्था, आवेदक जिसका स्वामी, साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है, पर अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है। : हाँ / नहीं
(क्रमांक 20, 21 एवं 22 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)

23. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि

(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के विषय-वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

- (स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे ।
- (द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

दिनांक :

(आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थान :

नोट :- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

1. परिसर के स्वामित्व का प्रमाण ।
2. प्लांट/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा। नक्शे का माप उच्च दाब संयोजन हेतु सामान्यतः 1 से.मी.= 1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है ।
5. साझेदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज ।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में समझौता पत्र तथा अनुच्छेद एशोसियेशन एवं निगम की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन)।
7. आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा क्र. (पीएएन नंबर), यदि कोई हो । स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तदनुसार सूचित करेगा ।
8. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन/उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टेंट ।
9. प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची ।
10. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से, के संबंध में प्राधिकार के संबंध में प्रस्ताव ।
11. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन, जहां यह लागू हो ।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग, जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में) ।
13. टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति, जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो । इसे औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा ।